भारत सरकार
रेल मंत्रालय

राज्य सभा
06.08.2021 के
तारांकित प्रश्न सं. 196 का उत्तर

विशेष रेलगाड़ियां

***196 श्री नीरज डांगीः**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में वर्तमान में संचालित कुल रेलगाड़ियों में से कितनी रेलगाड़ियों को कोविड महामारी के कारण विशेष रेलगाड़ियों के रूप में चलाया जा रहा है;

(ख) क्या विशेष रेलगाड़ियों के संचालन से आम जनता को साधारण रेल सेवा का लाभ मिल रहा है या अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार विशेष रेलगाड़ियों में अतिरिक्त किराए और अनिवार्य आरक्षण को बंद करके कब आम जनता के लिए साधारण रेल सेवा उपलब्ध कराएगी, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

******

विशेष रेलगाड़ियों के संबंध में दिनांक 06.08.2021 को राज्य सभा में श्री नीरज डांगी के तारांकित प्रश्न सं.196 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित **विवरण**।

(क): 01.08.20021 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल ने दैनिक औसत आधार पर 6166 विशेष गाड़ी सेवाओं का प्रचालन किया है, जिनमें 1517 मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां और 846 पैसेंजर गाड़ियां शामिल हैं।

(ख) और (ग): कोविड-19 वैश्विक महामारी को रोकने के लिए, भारतीय रेल ने 23 मार्च 2020 से सभी यात्री गाड़ियां बंद कर दी हैं। वर्तमान स्थिति के मद्देनज़र, राज्य सरकारों की चिंताओं और सुझावों तथा स्वास्थ्य एडवायज़री को ध्यान में रखते हुए केवल सीमित ठहरावों वाली विशेष रेलगाड़ियां ही प्रचालित की जा रही हैं।

वैश्विक महामारी के दौरान कोई नई किराया संरचना शुरू नहीं की गई है। सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने, गाड़ियों में भीड़-भाड़ की जांच करने के लिए केवल सेवाओं के कोटिकरण को युक्तिसंगत बनाया गया है।

इन विशेष गाड़ी सेवाओं को मेल/एक्सप्रेस स्पेशल, पैसेंजर स्पेशल और हॉलिडे स्पेशल के रूप में प्रचालित किया जा रहा है।

मेल/एक्सप्रेस स्पेशल सेवाएं, नियमित समय-सारणीबद्ध गाड़ियों के लिए लागू किराए के अनुसार प्रचालित की जा रही हैं। कोविड समय के दौरान, चूंकि विभिन्न सेक्टरों पर यात्रियों की मांग एकसमान नहीं थी, इसलिए, विभिन्न सेक्टरों पर अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए कुछ गाड़ियों को विशेष प्रभारों/हॉलिडे स्पेशल/क्लोन गाड़ियों के रूप में चलाया गया है, जो वर्ष 2015 से विशेष प्रभारों वाली स्पेशल गाड़ियों के लिए पहले से निर्धारित किराए के अनुसार चल रही हैं। इसके अलावा, वैश्विक महामारी की स्थिति को देखते हुए अनारक्षित द्वितीय श्रेणी को आरक्षित द्वितीय श्रेणी घोषित किया गया है। इसके अलावा, उक्त गाड़ियों के कोटिकरण के आधार पर कम दूरी की यात्रा के किराए भी घटते-बढ़ते रहते हैं।

भारतीय रेल द्वारा मौजूदा स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है और तदनुसार गाड़ी सेवाओं का प्रचालन विनियमित किया जा रहा है।

*****